छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड,
शंकरनगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 284/2006

श्री चन्द्रप्रकाश व्यास, उपलेखापाल, छ.ग.राज्य सहकारी अपेक्स बैंक, शारदा चौक शाखा–रायपुर रायपुर (छत्तीसगढ़)	. . . . .	आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)	. . . . .	अनावेदक

:: आदेश ::

(12 जून 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री चन्द्रप्रकाश व्यास, उपलेखापाल के द्वारा आयोग को आवेदन पत्र दिया कि उसके द्वारा दिनांक 28–03–2006 को आवेदन देकर जानकारी चाही कि उसकी पदोन्नति क्यों नहीं की गई एवं विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण मांगा गया, जिसे कि देने से जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अपेक्स बैंक के द्वारा अस्वीकार किया गया। सूचना देने से इंकार करने के फलस्वरूप आवेदक ने शिकायत प्रस्तुत की।

आयोग के द्वारा आवेदक, जन सूचना अधिकारी तथा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस दिया गया। शिकायतकर्ता अनुपस्थित था, सहकारी अपेक्स बैंक से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग उपस्थित हुए उन्हें सुना गया।

प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण चाहा गया था। सहकारी अपेक्स बैंक ने आवेदक को सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ–2–7/2006/1/6 दिनांक 29–5–2006 का उल्लेख करते हुए सूचना दी कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का कार्यवाही

विवरण दिया जाना संभव नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया गया। आवेदक ने विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण मांगा है। विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में न केवल आवेदक वरन् पदोन्नति हेतु विचार किये गये सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत जानकारी तथा वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियों का उल्लेख रहता है। साथ ही समिति के कार्यवाही विवरण में योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों के साथ ही साथ ऐसे उम्मीदवारों का उल्लेख होता है, जिन्हें कि समिति पदोन्नति योग्य नहीं मानती। जब तक सभी उम्मीदवारों को पदोन्नति नहीं दी जाती, तब तक उन्हें गोपनीय रखना आवश्यक होता है। अन्य अधिकारीगण जिनके बारे में विभागीय पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण में उल्लेख रहता है प्रतिपक्ष के रूप में माने जावेंगे और प्रतिपक्ष से पूछे बिना अधिनियम की धारा–11 के अंतर्गत जानकारी नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार जिन अधिकारियों की विभागीय जाँच अभियोजन के आधार पर अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी जाती है, जिनके अभियोजन एवं विभागीय जांच के बाद ही खोला जाता है। उपरोक्त सभी कारणों से विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण लोकहित में दिया जाना आवश्यक है यह सिद्ध नहीं होता। अतः जन सूचना अधिकारी ने सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र के अनुसार जो निर्णय दिया है वह सही प्रतीत होता है। शिकायतकर्ता सुनवाई के समय अनुपस्थित भी रहा है तथा वे अपने पक्ष में कोई तर्क भी प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः शिकायत में कोई तथ्य न होने के फलस्वरूप इसे अस्वीकार किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त